न्यायालय– राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग–1412–I–16

प्र0क्र0 /016 नि0

रामदेवी पुत्री शोभी पत्नी मुन्ना लाल

जाति काछी निवासी ग्राम निवारी

तहसील अटेर जिला भिण्ड/म.प्र./

.....प्रार्थिया

बनाम

1. सुदामा लाल पुत्र राम सनेही
2. रामसिया पुत्र रामसनेही
3. प्रेम नारायण पुत्र रामसनेही
4. शिवनारायण पुत्र रामसनेही जाति–

काछी निवासी ग्राम खरिका तहसील–

अटेर जिला भिण्ड .....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50ले0रे0.कोड विरूद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील अटेर जिला भिण्ड म0प्र0

प्र0क्र0 12/06–07अ 5 दिनांक 28/4/2016.

श्रीमान् जी ,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :––

1– यहकि , बन्दोबस्त पूर्व के आ0नं0 153/2व 153/3कुल रकवा 0.19 है0 की भूमिस्वामी मुझ प्रार्थी एवं मां महारानी थी मां की मृत्यु हो जाने से प्रार्थिया उनकी एक मात्र वारिस होने से

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1412-एक/16 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12/9/18	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अटेर जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 12//2006-07/अ-5 में पारित आदेश दिनांक 28.04.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 1 द्वारा बन्दोबस्त के समय हुई त्रुटि के सुधार हेतु एक आवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर कार्यवाही के दौरान अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 27.08.2007 द्वारा अनावेदकगण के स्थान पर महारानी आदि पूर्वोक्त क्रमांक 906 अंकित किए जाने का आदेश दिया। जिसके विरुद्ध कलेक्टर भिण्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जो उनके आदेश दिनांक 03.03.2011 द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया। कलेक्टर के आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.04.2016 द्वारा आदेश 6 नियम 17 का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं को दिनांक 08.08.18 को लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु पन्द्रह दिवस का समय दिया गया था, परंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक कोई लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अत: प्रकरण का निराकरण रिकॉर्ड के आधार पर किया जा रहा है। 4/ प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्षों को	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर आदेश 6 नियम 17 का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, जिसमें हस्तक्षेप किया जा सके। प्रकरण का निराकरण अभी गुण-दोष पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	